राजधानी में बनेगी सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग

- विभाग के सभी कार्यालय एक छत के नीचे आएंगे
- राजधानी के स्मार्ट सिटी एरिया में बनेगा कार्यालय

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 22 दिसंबर. स्कूल शिक्षा विभाग राजधानी में 22 मंजिला बिल्डिंग बनाने की तैयारी में है. ये बिल्डिंग न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग होगी. इसके लिये जगह का भी चयन कर लिया गया है.

ये स्मार्ट सिटी एरिया में बनेगा, जहां विभाग की जमीन उपलब्ध है. इस बिल्डिंग में ही विभाग के सभी कार्यालय एक छत के नीचे आएंगे. इस संबंध में सोमवार को स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी साझा की. इस दौरान उन्होंने दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने के लिये अनुमति मिलने पर काम शुरू करेंगे. मंत्री ने बताया कि नरसिंहपुर और राजगढ़ के संस्कृत विद्यालयों में नवाचार किया जाएगा, यहां गाय पर केंद्रित शोध होंगे, गाय से ऊर्जा मिलती है, अब तो ये भी साबित हो गया है, दुनियाभर के देशों में अब गाय पालन का चलन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि ये नवाचार देशभर में मॉडल बन सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 32 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. प्रदेश में पहली बार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था एक जुलाई को पूर्ण की गई. वर्तमान में 76 हजार 325 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं. सरकारी स्कूलों में 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण, शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में किया गया.

सरकारी स्कूलों में 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजा गया. मंत्री ने विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि कक्षा एक में कुल नामांकन वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में 19.6 प्रतिशत एवं शासकीय विद्यालयों में 32.4 प्रतिशत अधिक रहा है. प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही हो, इसके लिये कक्षा 5 एवं 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम मार्च माह में ही घोषित कर दिये गये.

18 जिलों में होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

वहीं परिवहन विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश के 18 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती है. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि सेवाओं को पोर्टल वाहन तथा सारथी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है. प्रदेश में विभाग की समस्त सेवाओं को फेसलेस रूप में प्रदान करने वाला मप्र देश में प्रथम राज्य बन गया है.

शहडोल प्रदेश में सबसे ठंडा

24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क

भोपाल, 22 दिसंबर. मध्यप्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार जारी है. ग्वालियर-चंबल अंचल समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर साफ असर पड़ रहा है.

उत्तरी और मध्य भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है, वहीं कोहरे की चादर ने जनजीवन को धीमा कर दिया है. रविवार को प्रदेश के करीब आधे हिस्से में घना और मध्यम कोहरा छाया रहा. ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के साथ-साथ रीवा, सतना, छतरपुर और आसपास के जिलों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम दर्ज की गई. इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शहडोल जिले का कल्याणपुर 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा. यह तापमान मसूरी, शिमला, श्रीनगर और मनाली जैसे कई प्रसिद्ध हिल स्टेशनों से भी कम दर्ज किया गया.

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहा. नरसिंहपुर जिले में शीतल दिन दर्ज किया गया, जबकि रीवा, सतना, छतरपुर और दतिया में तीव्र शीतल दिन की स्थिति रही. अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट रीवा संभाग में देखी गई, जहां तापमान सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. ग्वालियर और सागर संभागों में तापमान सामान्य से 5.0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया.

न्यूनतम तापमान की बात करें तो शहडोल संभाग में इसमें 3.7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में खास बदलाव नहीं हुआ. ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर बनी हुई है. इसके चलते आने वाले दिनों में भी घना कोहरा, शीतल दिन और ठंड का असर कई जिलों में बना रहने की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

धर्मांतरण पर रोक की मांग

- जनजाति क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों का आरोप

धार, 22 दिसंबर. जिले की सरदारपुर तहसील क्षेत्र में जनजाति इलाकों में कथित अवैध धर्मांतरण कार्यक्रमों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को समग्र हिंदू समाज के लोगों ने संतों के साथ रैली निकालकर एसडीओपी सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा.

रैली के माध्यम से समाजजनों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरदारपुर तहसील के जनजाति क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चालनीमाता, अमझर, सिरोदा, उटावा, आमलिया सहित आसपास के ग्राम-मजरों और संजय कॉलोनी राजगढ़ में ईसाई मिशनरियों द्वारा भोले-भाले जनजातीय लोगों को प्रलोभन देकर, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं का भय दिखाकर धर्मांतरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं. बताया गया कि यह गतिविधियां पेसा एक्ट लागू होने के बावजूद ग्राम समिति की अनुमति के बिना संचालित की जा रही हैं.

समाजजनों का आरोप है कि प्रकृति पूजक और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जनजातीय समाज को उनके परंपरागत देवताओं का अपमान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है.

धर्मांतरण को लेकर चले आमने सामने पत्थर

मेघनगर. मेघनगर के समिप पिपलीपाडा मे झायडा के लोग रात्रि में 8 बजे के लगभग पहुंचे. हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को जानकारी मिली तो हिंदू जागरण के कार्यकर्ता पहुंचकर झायडा से पहुंचे. परिवार से रात्रि मे पिपलीपाडा आने का प्रयोजन पूछा. जिस परिवार के यहां पहुंचे परिवार ने बताया कि यह एक विशेष समुदाय के होकर हम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे है. आपस में कहासुनी होने पर दोनों परिवार मेघनगर थाने पर पहुंचे. अपनी-अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे कि देखते देखते तनाव बढ़ गया. आमने-सामने पत्थर चलने लगे. विशेष वर्ग का पक्ष लेने वाले व्यक्ति को हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ कर पूछा तो भाग खड़ा हुआ. इधर पथराव होते देख जाम हो गया.

32 वर्षीय महिला पटवारी की मौत

बच्चे का बैलून उतारते समय छत से फिसलीं पड़ोसी के घर में गिरने से गई जान

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 22 दिसंबर. कमला नगर थाना क्षेत्र में एक मकान की छत से गिरी महिला पटवारी की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई. महिला के साथ यह हादसा उस दौरान हुआ था, जब वह अपनी दो साल की बच्ची के लिए बैलून उतारने की कोशिश छत पर कर रही थी.

इस बीच उनका पैर फिसल गया. छत से नीचे गिरकर वह घायल हो गई, उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया था. जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को 32 वर्षीय मीनाक्षी पटेल के साथ दर्दनाक हादसा हुआ था. मीनाक्षी की बेटी जब छत पर खेल रही थी और उसका बैलून पड़ोसी के शेड पर गिर गया था. बैलून को उठाने के चक्कर में वह पड़ोसी के घर गिरकर घायल हो गई थी. हादसे के करीब 10 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कमलानगर थाना पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है. मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

रीवा-मुंबई के बीच चलेगी दो ट्रिप स्पेशल ट्रेन

1 और 8 जनवरी 2026 को रीवा से चलेगी यह स्पेशल ट्रेन

यात्रियों को मिलेगी सुविधा और राहत

भोपाल,22 दिसंबर. यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा रीवा और मुंबई (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) के बीच इटारसी होकर दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.

यह जानकारी मंडल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक 687/2025 में दी गई है. रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन रीवा से गुरुवार 1 जनवरी 2026 और 8 जनवरी 2026 को चलेगी, जबकि वापसी में सीएसएमटी से शुक्रवार 2 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 को संचालित की जाएगी. इससे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

गाड़ी संख्या 02187 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन गुरुवार को रीवा से शाम 15.50 बजे प्रस्थान करेगी और रात 23.20 बजे इटारसी पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन दोपहर 12.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 02188 सीएसएमटी-रीवा स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को सीएसएमटी से दोपहर 13.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 01.15 बजे इटारसी पहुंचेगी और सुबह 09.45 बजे रीवा पहुंचेगी.

इस ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक, कल्याण और दादर स्टेशनों पर होगा. कोच संरचना की बात करें तो ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, शयनयान, सामान्य द्वितीय श्रेणी और गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट या एनटीईएस ऐप का उपयोग करें.

मुख्यमंत्री आज धार में करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

धार/ बैतूल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, 23 दिसंबर को धार में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी विशेष रूप से शामिल होंगे.

न्यायालय विवाह अधिकारी रायपुर (छ.ग.)

फार्म- अ

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री तरुण कुमार डोडाई पिता श्री रमेश लाल डोडाई निवासी म.नं. 39, कविता नगर कैपिटल पैलेस के पास तहसील व जिला रायपुर एवं कु. सानिया दुधानी पिता श्री अनिल कुमार दुधानी निवासी 136/1 बी.के. सिन्धी कॉलोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अधीन अपने विवाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. प्रस्तावित विवाह के विरुद्ध आपत्ति करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस संबंध में दिनांक 18 जनवरी 2026 के पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं होगी तथा यह शून्य माना जावेगा.

आज दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को इस न्यायालय के हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित जारी किया गया.

सील

विवाह अधिकारी रायपुर (छ.ग.)

गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा भोपाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 दिसंबर. प्रदेश में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 26 जनवरी को भोपाल के जहांगीराबाद स्थित ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में आयोजित होगा, जबकि पारंपरिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों के सिलसिले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने सोमवार को नवीन पुलिस मुख्यालय के भूतल स्थित सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस की गरिमा और महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियों को समय पर अंतिम रूप दिया जाए।

बैठक में गणतंत्र दिवस परेड के लिए विभिन्न इकाइयों से बल की तैनाती, परेड मैदान की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, दर्शकों एवं आमंत्रित अतिथियों की बैठक व्यवस्था, झांकियों तथा चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित जिम्मेदारियाँ विभिन्न अधिकारियों को सौंपी गईं।

सिंगरौली से भोपाल तक रोजाना रेल सफर

रेल मंत्री वैष्णव की स्वीकृति से सिंगरौली को मिली बड़ी सौगात

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 22 दिसंबर. सिंगरौली अंचल के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया है. वर्षों से लंबित चली आ रही सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन को नियमित किए जाने की मांग आखिरकार पूरी हो गई है.

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के निरंतर, प्रभावशाली और परिणामोन्मुख प्रयासों के चलते केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के नियमित संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय से पूरे जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है.

सिंगरौली जैसे औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के लिए राजधानी भोपाल से सीधी और नियमित रेल सेवा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने इस जनहित की मांग को गंभीरता से लेते हुए रेलवे मंत्रालय के समक्ष बार-बार मजबूती से रखा. उन्होंने सिंगरौली जिले की औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों का हवाला देते हुए राजधानी से बेहतर रेल कनेक्टिविटी को समय की मांग बताया. वहीं इस उपलब्धि पर क्षेत्र वासियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं ने सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है. लोगों ने इसे सिंगरौली के सर्वांगीर्ण विकास की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह रेल सौगात आने वाले वर्षों में जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी. रेल मंत्रालय के इस निर्णय से सिंगरौली वासियों ने खुशी जाहिर की है.

सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाने की उठी मांग

सिंगरौली जिले से भोपाल के बीच नियमित हुई एक्सप्रेस ट्रेन को अब इंदौर तक विस्तारित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है. जिले के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सिंगरौली के बड़ी संख्या में युवा इंदौर में उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति, यात्रियों को बड़ी राहत

सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस के नियमित संचालन से अब यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी. व्यापारियों के लिए व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार देने, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच, मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आम नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए भोपाल की यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान और सुलभ हो जाएगी. इससे समय, धन और संसाधनों की भी बचत होगी. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह ट्रेन सिंगरौली के विकास की रीढ़ साबित होगी. इससे न केवल सिंगरौली बल्कि आसपास के जिलों के हजारों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. रेल सुविधा के सुदृढ़ होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी.

पार्षद से बात करो पतियों से नहीं : विधायक

ग्वालियर. भितरवार नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल ने अपने निवास पर नाराज चल रहे पार्षद पति कैलाश खटीक को विधायक मोहन सिंह राठौड़ से मिलवाया. मामला पार्षद पति के बगावती तेवरों का था.प्रशासन द्वारा पूछ परख न किए जाने पर पार्षद पति कैलाश खटीक ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था. खटीक ने विधायक राठौर के दो वर्षीय कार्यकाल पर सवाल खड़े किए थे. पार्षद पति ने आरोप लगाया था कि जब से मोहन सिंह राठौर विधायक बने हैं तब से पार्षदों की स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है. कांग्रेस से वापस भाजपा में लौटे पार्षद पति खटीक ने पार्टी के सांसद और विधायक पर आरोप लगाए थे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

IDFC FIRST Bank

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	10174185851	संपत्ति पर ऋण	10.12.2025	रु. 43,87,393.00/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. ऑप्टिमा हेल्थ केयर 2. रुचिर बिहानी 3. रमेश बिहानी 4. ऋत्विक बिहानी

संपत्ति का पता: फ्लैट नंबर 603 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 168.68 वर्ग मीटर (सुपर बिल्ट-अप एरिया) है, जो मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग ब्लॉक 'पाम' की छठी मंजिल पर, प्रेम शांति रेजिडेंसी, श्रीराम एनक्लेव टाउनशिप में स्थित है, गांव- कुमेड़ी, तहसील- सांवेर, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश-453555, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- फ्लैट नंबर 602 पाम, पश्चिम- खुला आसमान, उत्तर- कॉरिडोर, दक्षिण- खुला आसमान.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 23.12.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (अनुच्छेद -IV A) (नियम 8 (6)

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- म.नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4, नियर नर्मदा स्क्वायर, गोपुरस्क्वायर के बाद, इंदौर-452001/102-103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री. जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर/ कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री गणेश राव श्रीमती सीता गणेश (प्रॉस्पेक्ट नं. 823261)	31-7-2021 और रु. 785240/- (रु. सात लाख पिच्यासी हजार दो सौ चालीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका विवरण इस प्रकार है- प्लॉट नंबर 476, गिरिराज वैली, ग्राम पिपलिया लोहार, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है.	4-9-2025 कुल बकाया राशि 8-1-2025 को रु. 1044554.34/- (रु. दस लाख चवालीस हजार पांच सौ चौवन और चौंतीस पैसे मात्र)	रु. 907000/- (रु. नौ लाख सात हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 90700/- (रु. नब्बे हजार सात सौ मात्र)
श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा श्रीमती संगीता शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. 848418)	17-5-2024 और रु. 1074685/- (रु. दस लाख चौहत्तर हजार छह सौ पिच्यासी मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका विवरण इस प्रकार है- प्लॉट नंबर C-74 (उत्तरी भाग) जो फेमस विला, ग्राम तेजाखेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर में स्थित है, इंदौर, म.प्र., भारत, 453001	11-11-2024 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 1453467.66/- (रु. चौदह लाख तिरेपन हजार चार सौ सड़सठ और पैसा छियासठ मात्र)	रु. 778000/- (रु. सात लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 77800/- (रु. सतहत्तर हजार आठ सौ मात्र)
श्री मनीष मंगलानी लिबास फैशन श्रीमती छाया (प्रॉस्पेक्ट नं. 870401)	23-12-2019 और रु. 628045/- (रु. छह लाख अट्ठाइस हजार पैंतालीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है- ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नंबर 2, एच नंबर 59, गली नंबर 1, छत्रीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452002 एरिया (वर्ग फुट में) प्रॉपर्टी का प्रकार-~बना हुआ एरिया प्रॉपर्टी एरिया- 35.00	3-7-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 1286419.12/-(रु. बारह छियासी हजार चार सौ उन्नीस और पैसा बारह मात्र)	रु. 378000/- (रु. तीन लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 37800/- (रु. सैंतीस हजार आठ सौ मात्र)
श्री मेघ सिंह श्रीमती रामदुलारी बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. 933181)	16-2-2023 और रु. 606847/- (रु. छह लाख छह हजार आठ सौ सैंतालीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है- मकान नंबर 270, 450 वर्ग फुट ज़मीन के साथ, साउथ शांति नगर कॉलोनी, महू गांव, द महू, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत (एरिया 900 वर्ग फुट)	13-3-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 592000.98/-(रु. पांच लाख बानवे हजार और पैसा अन्ठानवे मात्र)	रु. 1426000/- (रु. चौदह लाख छब्बीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 142600/- (रु. एक लाख बयालीस हजार छह सौ मात्र)
श्री पवन चौरसिया श्रीमती पूजा चौरसिया (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10113886 आईएल 10050473)	29-7-2014 और रु. 1071566/- (रु. दस लाख इकहत्तर हजार पांच सौ छियासठ मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है- फ्लैट नंबर T-306, तीसरी मंज़िल, ब्लॉक-S, सिल्क स्पेस सुपर सिटी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001. एरिया (वर्ग फुट में)- प्रॉपर्टी का प्रकार- कारपेट_एरिया, सुपर_बिल्ट_अप_एरिया प्रॉपर्टी एरिया- 450.00, 541.22	23-6-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 1418020.74/- (रु. चौदह लाख अट्ठारह हजार बीस और पैसा चौहत्तर मात्र)	रु. 1211000/- (रु. बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 121100/- (रु. एक लाख इक्कीस हजार एक सौ मात्र)
			सांकेतिक कब्जा	
श्री मुकेश श्रीमती भावना मुकेश सब्जी भंडार (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10514137)	8-10-2014 और रु. 644250/- (रु. छह लाख चवालीस हजार दो सौ पचास मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है- प्लॉट नंबर 128/2 (128 का हिस्सा), ग्लोबल पार्क गांव बगोदा तहसील देपालपुर (नई तहसील राऊ), इंदौर, 453332 एरिया (वर्ग फुट में)- प्रॉपर्टी का प्रकार- ज़मीन का एरिया, बिक्री योग्य एरिया, सुपर_बिल्ट_अप_एरिया प्रॉपर्टी एरिया- 393.00, 393.00, 300.00	9-1-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 722877.40/- (रु. सात लाख बाइस हजार आठ सौ सतहत्तर और पैसा चालीस मात्र)	रु. 740000/- (रु. सात लाख चालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 74000/- (रु. चौहत्तर हजार मात्र)
श्री रोहित परमार श्रीमती उमा बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10185484)	30-6-2025 और रु. 631324/- (रु. छह लाख इकतीस हजार तीन सौ चौबीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जिसमें शामिल ह-~प्लॉट नंबर 87, नेचर वैली, गांव जामली, तहसील महू, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441 प्रॉपर्टी का प्रकार- ज़मीन का एरिया, बिक्री योग्य एरिया प्रॉपर्टी एरिया- 1000.00, 1000.00	16-9-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 697497.44/- (रु. छह लाख सन्तानवे हजार चार सौ सन्तानवे पैसा चवालीस मात्र)	रु. 1080000/- (रु. दस लाख अस्सी हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 108000/- (रु. एक लाख आठ हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
7 जनवरी 2026 11.00-14.00 बजे	9 जनवरी 2026 के 5.00 बजे तक	12 जनवरी 2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट:-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए:-** login https://www.iiflonehome.com >My bid>Pay Balance Amount

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- उज्जैन, इन्दौर, दिनांक- 23 दिसम्बर, 2025 | **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**